

महापालिका नागब तहसीलका निवाड, जिला बाझनेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 127/2025 अर्नागत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956
सायल बनाम गैर सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी निवाड

पूजासम पुत्र धर्मराम
जाति मेधवाल निवासी रूपाररीया।

निर्णय

दिनांक-27.10.2025

पत्रावली आज बगुवान निवाड मे पेश हुई और गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का निवाड मे धारा आर.एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैसा. ने मौजा रूपाररीया के खसरा नं. 1154/938 रकबा 82.7581 हेक्टेयर डिम्स गै मुम्गरा मे से 0.0744 हेक्टेयर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काशत किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल अनुपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमण घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही करीब लगान रूपदे 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपदे 06/- पूर्णांक मे अक्षर छ. रूपदे/- मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का और मूअम निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भीतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण चालना एक माह मे पेश करे।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का निरीक्षक मूअ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास माग कावनी हेतु भेजी जाये।

निर्णय दिनांक 27.10.2025 को सर्वेआम सुनाया गया।


नागब तहसीलदार, निवाड
नागब तहसीलदार
नागब तह. जिला जिला -बाझनेर

